

**राज्यपाल
कार्य, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश संसद भवन।**

संख्या- प्राथि/परिषद/सम्प्रदाय/2020/1071

तारीख दिनांक- 18-8-2020

-संचालित ध्यान-

अखिल भारतीय राजकीय शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/राज्यीय कार्यपालिका जौनपुर, नई दिल्ली द्वारा संश्लेषित वर्ष 2020-21 हेतु विस्तारित राष्ट्रीय राजकीय शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने में संसदीय प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के सम्प्रदाय/सम्प्रदाय विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 08.08.2020 को अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में परिषद संसदीय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु अखिल नई संस्थाओं को सम्प्रदाय/पूर्व से संश्लेषित संस्थाओं को सम्प्रदाय विस्तार/सम्प्रदाय/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य गरीब एवं विद्यार्थी संरक्षण हेतु वर्ष 2020-21 हेतु सम्प्रदाय व-21 निर्देश ज्ञान का निर्माण किया गया।

उपरोक्त ही अनुमोदन में सम्प्रदाय समिति की बैठक के मत-8 में विस्तारित इन प्राथमिक पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्ण से संसदीय संस्थाओं का प्रस्ताव रखा गया। सम्प्रदाय समिति द्वारा पत्र संसदीय-विस्तार किया गया दिनांक 18/08/2020 को।

"विश्वी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन प्राथमिक पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से पूर्ण से संबद्ध हैं, एवं वर्ष 2020-21 हेतु पीपीआईआई द्वारा उन्हें समर्थन अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीपीआईआई द्वारा प्रदान किये जाने अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्पूर्ण अखिल पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता से उत्तर वर्ष 2020-21 हेतु परिषद से सम्प्रदाय विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीपीआईआई द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुकूल में वर्ष 2020-21 हेतु परिषद से सम्प्रदाय विस्तार दिये जाने का निर्णय किया गया।"

दिनांक 18-08-2020 को उत्तर सम्प्रदाय समिति की बैठक में किये गये उपरोक्त निर्णय को अनुमोदन में निम्न संख्या को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित गरीब से अखिल पाठ्यक्रम एवं प्रदान अखिल प्रवेश क्षमता हेतु सम्प्रदाय विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का नाम	संस्था का नाम	पीपीआईआई द्वारा वर्ष 2020-21 में अनुमोदन प्रवेश क्षमता	पीपीआईआई/परिषद द्वारा वर्ष 2020-21 में अनुमोदन प्रवेश क्षमता
1	1228	राज्यीय राजकीय जौनपुर, जौनपुर, उत्तर प्रदेश-24.00 नए गरीब, अनुमोदन प्रवेश क्षमता	विस्तारित इन प्राथमिक	00	00

सम्प्रदाय हेतु गर्व

- ✓ संसदीय संस्थाओं/पीपीआईआई द्वारा निर्णय की गयी गरीब से पूर्ण प्रदान की जाती।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एवं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद विस्तारित-2020-21 का नाम निर्णय निर्णय का अनुमोदन की जाती उत्तर प्रदेश विस्तारित संसदीय द्वारा निर्णय सुनकर ही पूर्ण वृद्धि पाठ्यक्रमों हेतु रु 20,00,000/- निर्णय, जो अखिल राजकीय पाठ्यक्रम हेतु रु 45,00,000/- निर्णय एवं एक लाख से अधिक पाठ्यक्रमों (दो गरीब राजकीय पाठ्यक्रम से अधिक) हेतु रु 10,00,000/-

Parvathi College of Pharmacy
Noida

कार्यालय,**सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,****उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

:कार्यालय जाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मद्दों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1063-PARMARTH COLLEGE OF PHARMACY ACCHEJA NH-24,49TH MILESTONE,HAPUR BYPASS ROAD,HAPUR-245101			
क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रू० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रू०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार

कार्यालय,**सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,****उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2022/7817

लखनऊ: दिनांक: 30/08/2022

:-कार्यालय जाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1063-PARMARTH COLLEGE OF PHARMACY			
क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रू० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रू०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों